प्रेस नोट 01- दिनांक 17.05.2024
थाना हसनगंज,जनपद उन्नाव।

नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी एंव क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 14.05.2024 को थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0 109/24 धारा 363/366 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित अपहर्ता को सकुशल बरामद कर लिया गया है। आज दिनांक 17.05.2024 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रंजीत कुमार पुत्र लल्लू प्रसाद नि0 खसरवाग थाना बंथरा जिला लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष को प्र0नि0 श्री चंद्रकान्त मिश्र व उ0नि0 श्री दीपक यादव मय हमराह द्वारा हरौनी मोहान रोड से मोहिउद्दीनपुर गांव को जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण -

1.रंजीत कुमार पुत्र लल्लू प्रसाद नि0 खसरवाग थाना बंथरा जिला लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम

1-प्र0नि0 श्री चन्द्रकान्त मिश्र थाना हसनगंज,उन्नाव।

2-उ0नि0 श्री दीपक यादव थाना हसनगंज उन्नाव।

3-का0 अंकित चौधरी थाना हसनगंज उन्नाव।

प्रेस नोट 02- दिनांक 17.05.2024
थाना बिहार,जनपद उन्नाव।

CEIR पोर्टल की सहायता से खोया हुआ मोबाइल खोजकर पीड़ित को वापस दिलाया

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 13.05.24 को आवेदक पंकज कुमार पुत्र प्रेमशंकर निवासी तखतखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव ने थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर सूचना दी कि दिनांक 12.05.24 को घर से निकलकर भगवंतनगर बाजार जाते समय उसका मोबाइल सुमेरपुर से भगवंतनगर के बीच रास्ते में कहीं गिर गया है। मोबाइल की आवेदक द्वारा काफी खोजबीन की गई किन्तु नहीं मिला उसके उपरांत आवेदक द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई। आवेदक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक थाना बिहार के कुशल निर्देशन में थाना बिहार में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर अवधेश यादव द्वारा UPCOP App पर ऑनलाइन मोबाइल खोने की सूचना दर्ज की गई तथा दर्ज करने के उपरांत दूरसंचार विभाग द्वारा जारी CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल के माध्यम से उक्त मोबाइल को ट्रेस कर बरामद करते हुए आवेदक का मोबाइल पीड़ित को सुपुर्द किया।